न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

रिव्यू प्रकरण कमांकः 386-/2015

रिव्यू 386-III-15

म0प्र0 शासन
द्वारा– कलेक्टर सिंगरोली

———आवेदक

बनाम

सुखसेन साहू तनय राममिलन साहू
निवासी– ग्राम निवास,
तहसील– देवसर जिला– सिंगरौली म0प्र0

———अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता वास्ते पुर्नविलोकन किये जाने बावत्

आवेदक आपके न्यायालय का प्रकरण कमांक निगरानी 2946–III/2013 पक्षकार सुखसेन साहू विरुद्ध म0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक 04.10.2014 में म0प्र0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुर्नविलोकन निम्न आधारों पर किये जाने हेतु निवेदन है।

1– यहकि, न्यायालय कलेक्टर, सिंगरौली के रामचन्द त्रिपाठी एवं एक अन्य द्वारा ग्राम–पापल, गोरमी, छमरछ, धनवाही, महुआ गांव के भू–अभिलेख में कूटरचना के माध्यम से व्यापक पैमाने पर शासकीय भूमियों की हेराफेरी किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती आवेदन पेश किया गया। इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीक्षक, भू–अभिलेख से प्रतिवेदन मंगाया गया। अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कमुांक 1118/भू–अभि/245/10 दिनांक 18.10.2010 के आधार पर कलेक्टर ने अन्य भूमियों के साथ–साथ आवेदक के नाम भू–अभिलेख में दर्ज प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 294 रकवा 0.84 हेक्टर, 460 रकवा 0.14 हेक्टर एवं सर्वे नं. 461 रकवा 0.78 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 1076 स्थित ग्राम गोरमी को भी म0प्र0 शासन के नाम दर्ज किये जाने

XXIV(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 389–दो/2015 पुनरावलोकन जिला सिंगरोली

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
5-9-16	यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालीयन प्रकरण कमांक 2946–तीन/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04–10–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित आधारों पर मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव के एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड़ व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव न्यायालीयन प्रकरण कमांक 2946–तीन/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04–10–2014 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि विद्वान पैनल लायर व्दारा पुनरावलोकन हेतु जो आधार पर बताये गये हैं वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार आधार बताये गये हैं :– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण विषय–वस्तु या साक्ष्य की खोज होने से, जो उचित परिश्रम करने के वाद भी उसकी जानकारी में नहीं थी या जो उस समय जब डिक्री पारित हुई या आदेश दिया गया, उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या	

2. किसी ऐसी भ्रान्तिपूर्ण गलती (Mistake) या भूल (error) जो रिकार्ड के देखते ही प्रत्यक्ष दिखाई देती है , या
3. किसी अन्य पर्याप्त कारण से, यह निवेदन करता है कि डिक्री या आदेश जो उसके विरूद्ध दिया गया है उसका पुनर्विलोकन (Review) किया जाय तो वह उस न्यायालाय में जिसने ऐसी डिक्री यां आदेश दिया है– आवेदन कर सकेगा ; और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा, जो न्योयित समझे ।

विचाराधीन प्रकरण में शासन के पैनल लायर यह समाधान नहीं करा सके कि उपरोक्त में ऐसा कौनसा अभिलेख छूट गया, जो उनके व्दारा तत्समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका अथवा आदेश दिनांक 4–10–14 पारित करते समय ऐसी कौनसी भ्रॉतिपूर्ण गलती हुई है जिसके कारण आदेश दिनांक 4–10–14 में फेर–बदल किया जावे । पुनरावलोकन आवेदन में अंकित आधारों पर से आदेश दिनांक 4–10–14 में फेर–बदल की गुंजायश नहीं है। अतएव पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है।

सदस्य